



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं. : NCST/DEV-7917/MH/860/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 08/07/2026.

जिला कलेक्टर,
जिला-पुणे,
कलेक्टर कार्यालय,
ससून अस्पताल के सामने,
स्टेशन रोड, पुणे-411001, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

आयुक्त,
पुणे महानगर पालिका,
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन,
मंगला थिएटर के पास, शिवाजीनगर,
पुणे-411 005, महाराष्ट्र
ई-मेल: navalkishorram@punecorporation.org

विषय: राज्य सरकार की अनुमति के बिना आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में श्री रवि हरी काले, गैरान बस्ती, स.न. 9 से 14 मुंढवा, केशव नगर, पुणे, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 18.05.2026 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 19.06.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 21.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री रवि हरी काले,
गैरान बस्ती, स.न. 9 से 14 मुंढवा, केशव नगर,
पुणे-411036, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।